

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड, राँची।

1774
24-11-11

अधिसूचना

विषय :- राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्र शुल्क निर्धारण हेतु समिति के गठन के संबंध में।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकन के संबंध में निर्णय लिया गया है कि झारखंड राज्य के सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। राज्य के अंतर्गत अवरिथित मान्यता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (NCVT / SCVT) के छात्र शुल्क निर्धारण हेतु निम्न प्रकार से एक समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. माननीय न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद (से0नि0) | - | अध्यक्ष |
| माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। | | |
| 2. श्रीमती अंजली जैन, | - | सदस्य |
| चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। | | |
| 3. प्रधान सचिव | - | सदस्य सचिव |
| श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड, राँची | | |
| 4. महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार, | | |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रतिनिधि - | | सदस्य |
| 5. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड, राँची | - | सदस्य |
| 6. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची। | - | सदस्य |

उपर्युक्त समिति निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के छात्र शुल्क का निर्धारण तीन माह में करेगी। श्री बुद्धदेव ठाकुर, उप निदेशक प्रशिक्षण झारखंड को इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी धोषित किया जाता है। वे इस समिति को नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

ज्ञापांक :-5प्रशि0 (नामांकन)-235/2010.....1774.....
राँची, दिनांक...24-11-11.....
सरकार के प्रधान सचिव
प्रतिलिपि :- न्यायमूर्ति श्री विक्रमादित्य प्रसाद (सेवा निवृत्त) छात्र शुल्क निर्धारण समिति / सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. महानिदेशक (प्रशिक्षण), रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, डी0जी0ई0टी0, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस समिति के सदस्य के रूप अपने किसी पदाधिकारी को मनोनीत करने की कृपा करें।

ज्ञापांक :-5प्रशि0 (नामांकन)-235/2010.....1774.....
राँची, दिनांक...24-11-11.....
सरकार के प्रधान सचिव
प्रतिलिपि :- श्री बुद्धदेव ठाकुर, उप निदेशक (प्रशि0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक :-5प्रशि0 (नामांकन)-235/2010.....1774.....
राँची, दिनांक...24-11-11.....
सरकार के प्रधान सचिव
प्रतिलिपि :- सभी प्रबंधक /निदेशक /सचिव/ प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव